प्रेस नोट दिनांक 21.11.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 01 नफर अभियुक्त तसलीम अहमद गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी डीबीबीएल बन्दूक के दो टूटे हुए हिस्से एवं 02 खोखा कारतूस बरामद।

हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 01 अन्य अभियुक्त तसलीम अहमद गिरफ्तार, पूर्व में 03 अभियुक्तों, मो0 सगीर, नईम व तबरेज अहमद को भेजा जा चुका है जेल,

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 15.11.2026 को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सुजौली में भतीजी की विदाई के दौरान रास्ते में खड़ी चार पहिया गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान अभियुक्त तसलीम अहमद द्वारा लाइसेंसी दो नाली बन्दूक से फायरिंग की गई, जिसमें वादी पक्ष के कुछ लोगों को छर्रे लगे। वहीं अभियुक्तगण तसलीम अहमद, नईम, मो0 सगीर एवं तबरेज अहमद द्वारा एकराय होकर लाठी-डंडों से मारपीट की गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। उक्त घटना के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा पर मु0अ0सं0 435/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/109(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना में घायल मुबस्सिर हुसैन पुत्र मोहिउद्दीन निवासी ग्राम सुजौली थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ की उपचार के दौरान पीजीआई अस्पताल लखनऊ में मृत्यु हो गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिव नारायण वैश्य के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक राजेश कुमार व उप निरीक्षक मार्कण्डेय सिंह यादव मय हमराह का0 अमित गिरि, का0 गजेन्द्र सिंह एवं रि0का0 कृष्ण कुमार द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त तसलीम अहमद पुत्र मोहम्मद सगीर उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम सुजौली थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़, जो एसआरएन अस्पताल प्रयागराज में उपचाराधीन था, के स्वस्थ होने पर दिनांक 20.11.2026 को एसआरएन अस्पताल प्रयागराज के बाहर से गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि उक्त अभियोग में पूर्व में 03 अन्य अभियुक्तगण 1. मो0 सगीर पुत्र रफीउद्दीन, 2. नईम पुत्र मो0 सगीर एवं 3. तबरेज अहमद पुत्र मो0 सगीर, निवासीगण ग्राम सुजौली थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त तसलीम अहमद द्वारा बताया गया कि घटना के समय उसने अपने पिता के नाम से पंजीकृत लाइसेंसी दो नाली बन्दूक से फायरिंग की थी। छीना-झपटी के दौरान उक्त बन्दूक दो टुकड़ों में टूट गई थी, जिसे उसने घटना के बाद अपने घर से दूर दिलेरगंज मार्ग पर मुन्ना के खेत एवं सड़क के बीच स्थित झाड़ियों में छिपा दिया था।

अभियुक्त की निशानदेही पर दिनांक 21.11.2026 को थाना कुण्डा पुलिस द्वारा ग्राम सुजौली स्थित दिलेरगंज मार्ग पर मुन्ना के खेत एवं सड़क के बीच झाड़ियों से घटना में प्रयुक्त डीबीबीएल बन्दूक के दो टूटे हुए हिस्से (नाल एवं बट) तथा दोनों नाल में लगे 02 फायर किए गए खोखा कारतूस बरामद किए गए। बरामद बन्दूक एवं खोखा कारतूस को विधिक प्रक्रिया के तहत कब्जा पुलिस में लेकर सील किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 25 आर्म्स एक्ट की धारा में आवश्यक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. तसलीम अहमद पुत्र मोहम्मद सगीर उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम सुजौली थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
* घटना में प्रयुक्त 01 अदद डीबीबीएल बन्दूक के दो टूटे हुए हिस्से (नाल एवं बट)।
* बन्दूक की दोनों नाल में लगे 02 अदद फायर किए गए खोखा कारतूस।

पुलिस टीम-
उप निरीक्षक राजेश कुमार व उप निरीक्षक मार्कण्डेय सिंह यादव मय हमराह का0 अमित गिरि, का0 गजेन्द्र सिंह एवं रि0का0 कृष्ण कुमार थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

हत्या के प्रयास से सम्बन्धित अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना बाघराय पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त श्यामू पाण्डेय को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 13.11.2026 को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चकवड़ में मकान के पानी निकास को लेकर वादी के बड़े भाई एवं उसके चचेरे भाई श्यामू पाण्डेय पुत्र विनय कुमार पाण्डेय निवासी ग्राम चकवड़

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ के मध्य विवाद हो गया। विवाद के दौरान अभियुक्त श्यामू पाण्डेय द्वारा गाली-गलौज करते हुए हाथ में लिए कुल्हाड़ी से जान से मारने की नीयत से वादी के भाई के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बीच-बचाव करने आए वादी के भतीजे के गर्दन के पीछे भी कुल्हाड़ी से वार कर दिया गया। घटना के बाद अभियुक्त जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बाघराय पर मु0अ0सं0 304/2026 धारा 115(2)/109(1)/352/351(3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री राकेश कुमार चौरसिया के नेतृत्व में उ0नि0 देवी दयाल वर्मा मय हमराह का0 सत्यप्रकाश द्वारा देखभाल क्षेत्र, विवेचना एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 304/2026 धारा 115(2)/109(1)/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त श्यामू पाण्डेय पुत्र विनय कुमार पाण्डेय उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम चकवड़ थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत देवगलपुर पुलिया/चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. श्यामू पाण्डेय पुत्र विनय कुमार पाण्डेय उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम चकवड़ थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 देवी दयाल वर्मा मय हमराह का0 सत्यप्रकाश थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।